

जालंधर पञ्जावली वास्ते जवाब  
कोर्टि अवसर 2001 की फाईल  
पर दिनांक 26/4/18 को फैसला

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

10

पञ्जावली आज राजस्व लोम अदालत  
कैम्प विडुजा में पेश हुई।

स. ल. रा. 7

वादी सांवलराम व पालेवाड़ी संख्य  
कमला अज्ञान। वादी सांवलराम ने  
प्रतिना पत्र वाचन दावा विडोल करने  
का पेश कर निवेश किया है  
दोनों पक्षकारन में आपत में लोम  
अदालत की भावना से राजीनामा  
हो गया है। इस लिए वाद में कोई  
नखिया तत्व होना शेष नहीं है।  
इसलिए वादी उम्न वाद में अभी  
बिंदी पुकार की कोई कार्यवाही  
कराना नहीं चाहते हैं। इसलिए उम्न  
वाद जरिये विडोल स्वारेज करने हेतु  
प्रतिना पत्र पेश किया।

हमने पञ्जावली व शवलोकन व  
अद्यपन किया दोनों पक्षकारन में  
सुना गया। वादी का उम्न वाद जरिये  
विडोल स्वारेज किया गया।

पञ्जावली के पास हुंकार होकर दारिमल  
नैफतर है।

(भागीरथ राम)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा कैम्प.....